किराना दुकान में चोरी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, पुसौर पुलिस की तत्परता से चोरी का सामान बरामद

रायगढ़

पुसौर पुलिस ने किराना दुकान का शटर तोड़कर दैनिक उपयोग की वस्तुओं की चोरी करने वाले 04 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। घटना की जानकारी ग्राम कोड़ातराई निवासी विकास कुमार गुप्ता द्वारा दिनांक 22.09.2024 को थाना पुसौर में दी गई थी, जिसके अनुसार उनकी ग्राम तेतला स्थित किराना दुकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था।

चोरी की घटना का विवरण:

शिकायतकर्ता विकास कुमार गुप्ता के अनुसार, दिनांक 08.09.2024 की रात लगभग 08 बजे दुकान बंद कर वे अपने घर लौटे थे। अगले दिन सुबह दुकान पहुंचे तो पाया कि दुकान का शटर टूटा हुआ था। अंदर देखने पर दुकान से कई दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे साबुन, टूथपेस्ट, शैंपू, तेल, क्रीम, मिठाइयां, और करीब 10,000 रुपये नकदी समेत एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू चोरी हो चुका था। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में 3-4 चोर चोरी करते हुए दिखाई दिए, जिसके आधार पर पुलिस ने अप. क्र. 323/2024 धारा 305(a), 324(4), 331(4), 3(5) BNS के तहत मामला पंजीकृत किया।

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन में सायबर सेल और पुसौर पुलिस की संयुक्त टीम ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और संदिग्धों की पहचान की। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी कोमल डनसेना को हिरासत में लिया, जिसने पूछताछ के दौरान अपने अन्य साथियों- जैकी खान, सुमित जायसवाल, और सतीश यादव के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की।

पूछताछ के बाद पुलिस ने बाकी तीन आरोपियों को भी हिरासत में लेकर उनसे अलग-अलग बयान दर्ज किए, जो एक-दूसरे की पुष्टि करते हुए चोरी की घटना में शामिल होने की बात मान गए। आरोपियों ने घटना वाले दिन सतीश यादव की कार क्रमांक CG 13 C 8295 से ग्राम तेतला आकर चोरी की योजना बनाई थी। आरोपियों के बयान और मेमोरेंडम के आधार पर किराना दुकान से चोरी किये गए सामान (करीब रु.30000) बरामद कर ली गई है।

गिरफ्तार आरोपी:

1. कोमल डनसेना उर्फ दाउ पिता ठंडाराम डनसेना, उम्र 23 वर्ष, निवासी शिवानगर, केवडाबाड़ी, रायगढ़
2. सुमित जायसवाल पिता सेतराम जायसवाल, उम्र 25 वर्ष, निवासी शिवानगर, रायगढ़
3. सतीश यादव उर्फ सोनू पिता दिलदार यादव, उम्र 21 वर्ष, निवासी बेलादुला, वार्ड नंबर 21, संगीत चौक चक्रधरनगर, रायगढ़
4. जैकी खान उर्फ शेखू पिता फिरोज खान, उम्र 19 वर्ष, निवासी ढिमरापुर, सिदार गली, रायगढ़

चोरी की घटना का खुलासा और आरोपियों की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक रोहित बंजारे, सहायक उप निरीक्षक मनमोहन बैरागी, आरक्षक ओशनिक विशवाल, दिलीप सिदार, महिला आरक्षक कौशल्या पटेल और सायबर सेल टीम का विशेष योगदान रहा।

महत्वपूर्ण एवं खास

लाईवलीहुड कॉलेज में नि:शुल्क प्रशिक्षण के लिए प्रवेश प्रारंभ

रायगढ़। प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत रायगढ़ जिले के शासकीय प्रशिक्षण केन्द्र लाईवलीहुड कॉलेज में संचालित प्रशिक्षण में इलेक्ट्रिशियन (10वीं), प्लंबर (5वीं) कोर्स में नि:शुल्क गैर आवासीय प्रशिक्षण हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं जिसमें बचे हुए सीटों की पूर्ति के लिए प्रवेश लिया जा रहा है। प्रशिक्षण हेतु न्यूनतम आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। प्रशिक्षण उपरांत सफल प्रशिणार्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इच्छुक युवक-युवतियां लाईवलीहुड कॉलेज, केआईटी कॉलेज के पास, अग्रसेन आईटीआई के बगल में, उड़ीसा रोड, गढ़उमरिया रायगढ़ में समस्त दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अथवा लाईवलीहुड कॉलेज रायगढ़ के मोबाईल नं 9179212028 से संपर्क कर अपना पंजीयन करा सकते हैं।

लेटरल एन्ट्री से भर्ती हेतु 25 सितम्बर तक मंगाए गए आवेदन

रायगढ़। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छोटे मुड़पार खरसिया, रायगढ़ में कक्षा 7 वीं में 2, कक्षा 8 वीं में 1 सीट, कक्षा 9 वीं में 4 सीट एवं कक्षा 11 वीं म जीव विज्ञान संकाय हेतु 31 सीट रिक्त है। इस प्रकार कुल 38 सीट रिक्त है। उक्त सीटों पर लेटरल एन्ट्री के माध्यम से आवेदन मंगाए गए है। इच्छुक छात्र तत्काल सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शाखा रायगढ़ में एवं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छोटे मुड़पार विकासखण्ड खरसिया में 25 सितम्बर 2024 तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। आवेदन के साथ अंकसूची की छायाप्रति आधार, जाति, निवास एवं फोटो के साथ आवेदन संलग्न कर सकते है।

स्वच्छता ही सेवा सप्ताह का हुआ आयोजन

श्रमदान के माध्यम से धार्मिक, पर्यटन स्थलों में किया जा रहा है साफ -सफाई

रायगढ़। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के दिशा निर्देश एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जितेन्द्र यादव के मार्गदर्शन में जिले के समस्त जनपद में स्वच्छता ही सेवा 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रायगढ़ जिले के अंतर्गत लैलूंगा जनपद पंचायत के सभी ग्राम पंचायतों में श्रमदान के माध्यम से मंदिर, धार्मिक स्थल एवं पर्यटन स्थलों में साफ -सफाई किया जा रहा है। जिसमें लैलूंगा के पहाड़ लुड़ेग ग्राम पंचायतों में श्रमदान से सफाई अभियान चलाया गया। जिसमें सर्व प्रथम शिव मंदिर, केलो उदगम स्थल से साफ -सफाई की शुरूआत की गई। मौके पर स्वच्छता की शपथ भी ली गई। इस दौरान घर-घर कचरा कलेक्शन का कार्य महिला स्वेच्छाग्राहियों द्वारा किया गया। लैलूंगा ब्लॉक के सभी धार्मिक स्थल ग्राम पंचायत में महिला समूह एवं ग्रामवासियों द्वारा जागरूकता रैली भी निकाली गई।

चन्द्रनाहू (चन्द्रा) समाज के निर्माणाधीन भवन में चौथी बार हुई चोरी, शिकायत दर्ज

रायगढ़

शहर के जगतपुर में बन रहे चन्द्रनाहू (चन्द्रा) समाज रायगढ़ के सामाजिक भवन की निर्माण कार्य प्रगतिशील है। इस दौरान 15 सितम्बर 2024 रात को पुनः कुछ अज्ञात चोरों द्वारा भवन के अन्दर घुसकर चोरी कर लिया गया है। इस तरह से यह चोरी की घटना चौथी बार चोरी है। चार बार हुए चोरी में अब तक कुल 2 क्विंटल 10 किलो छड़, 20 किलो कालम रिंग, 23 किलो का 2 नग वेंटिलेशन खिड़की, बोरवेल का वायर 60 मीटर, 2.5 MM का वायर 2 बंडल, 1.5 MM वायर 3 बंडल, 8 हजार 300 रूपए का बिजली सामान तक चोरी हो चुका है। उक्त चोरी की घटना के संदर्भ में चन्द्रनाहू (चन्द्रा) समिति रायगढ़ क्षेत्र के अध्यक्ष भगत चन्द्रा व भवन समिति अध्यक्ष गोरख चन्द्रा द्वारा सिटी कोतवाली में 21 सितंबर को शिकायत दर्ज करवाई गई है, और उक्त घटना कि जाँच कर अज्ञात चोरों को पकड़कर उचित कार्यवाही करने का निवेदन किया गया है।

इससे पहले भी निर्माणाधीन समाजिक भवन से तीन बार और चोरी हो चुकी है और चोरी की शिकायत सिटी कोतवाली में कराई गई है लेकिन अभी तक चोरों को पकड़ने में पुलिस को सफलता नहीं मिल पाई है।

युवती से नौकरी लगाने के नाम पर ठगी, जालसाज को कोतरा रोड पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर

रायगढ़

थाना कोतरारोड़ क्षेत्र की एक 20 वर्षीय युवती ने दिनांक 22.09.2024 को कोतरारोड़ थाना में आकर लिखित शिकायत दर्ज कराई कि फरवरी 2024 में राजेश कुमार साहू, निवासी किरोड़ीमलनगर, रायगढ़, ने इंस्टाग्राम के माध्यम से संपर्क किया और खुद को नहरपाली स्थित जेएसडब्ल्यू कंपनी में इंटरशीप कर रहा हूं बताते हुए झूठे वादे किए। राजेश ने युवती को जेएसडब्ल्यू कंपनी में अच्छी नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया और इसके बदले विभिन्न किस्तों में कुल रु.1,85,000 की ठगी की। राजेश ने फर्जी ज्वाइनिंग लेटर और अन्य दस्तावेज बनाकर युवती को ई-मेल किये जिसमें ज्वाइनिंग की तारीखें लिखी थी, परंतु ज्वाइनिंग नहीं हुई। युवती को धोखे का एहसास होने पर उसने कोतरारोड़ थाना में शिकायत दर्ज कराई।

प्राथमिक जांच में ठगी के आरोपों की पुष्टि होने पर अप.क्र. 322/2024 धारा 420, 467, 468, 469, 470, 471 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी ने अपनी टीम के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी राजेश कुमार साहू को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार और बताया कि 04 माह पूर्व जेएसडब्लू. नहरपाली में डिप्टी सपोर्ट इंजीनियर के पद पर पदस्थ था। उस दौरान युवती से परिचय हुआ, उसने नौकरी पर रखने की बात कही और युवती ने 1,10,000 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट भी कर दिया। जे.एस. डब्लू. नहरपाली में काम करने के दौरान इसने कंपनी के आईटी डिपार्टमेंट के डेस्कटॉप (कम्प्यूटर) से बिना डोमेन के युवती के नाम से ज्वाइनिंग लेटर जारी किया और कंपनी के ईमेल आईडी से युवती के ईमेल पर भेजा। जो ज्वाइनिंग लेटर जारी किया गया वह फर्जी था, इसलिए युवती की ज्वाइन नहीं हुई। आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त सबूत जुटाकर कोतरारोड़ पुलिस ने आरोपी- राजेश कुमार साहू पिता भरतलाल साहू उम्र 21 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 01 इंदिरा निवास किरोड़ीमल नगर थाना कोतरारोड़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) को आज रिमांड पर भेजा गया है।

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन, एडिशनल एसपी आकाश मरकाम और डीएसपी अखिलेश कौशिक के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी त्रिनाथ त्रिपाठी, उप निरीक्षक जे-एक्का, उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त, प्रधान आरक्षक करुणेश राय, आरक्षक चंद्रेश पांडेय और प्रवीण राज ने सराहनीय भूमिका निभाई और ठगी के इस मामले में त्वरित गिरफ्तारी कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा। इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए पुलिस जनता से अपील करती है कि नौकरी या किसी अन्य मामले में पैसे देने से पहले पूरी जानकारी और जांच अवश्य कर लें।

खरसिया में सड़क सुरक्षा अभियान: एसपी ने हेलमेट वितरण कर बढ़ाई जागरूकता

रायगढ़

जिले में सड़क सुरक्षा के तहत चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 23.09.2024 को थाना खरसिया क्षेत्र के रानीसागर चौक, खरसिया में बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले चालकों को जागरूक करते हुए "निशुल्क हेलमेट वितरण" कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पुलिस प्रशासन और हेल्पिंग हैंड्स क्लब फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया, जिसमें सड़क सुरक्षा को लेकर नागरिकों को जागरूक किया गया।

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल और एसडीओपी खरसिया प्रभात पटेल, क्लब के संरक्षक मनोज गोयल की उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर खरसिया पुलिस स्टाफ और हेल्पिंग हैंड्स क्लब फाउंडेशन के सदस्य भी उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के साथ पुलिस अधिकारियों तथा क्लब के सदस्यों ने वाहन चालकों को निशुल्क हेलमेट वितरित किए और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया।

एसपी दिव्यांग पटेल ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सड़क पर यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया। उन्होंने विशेष रूप से हेलमेट का अनिवार्य उपयोग, गति सीमा का पालन, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने, सिग्नल और संकेतों का पालन करना बताया गया। पटेल ने हेल्पिंग हैंड्स क्लब फाउंडेशन की सड़क सुरक्षा में योगदान के लिए सराहना की और सड़क सुरक्षा अभियान को निरंतर जारी रखने की आवश्यकता पर बल दिया।

कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने यातायात नियमों का पालन करने की शपथ ली और सड़क सुरक्षा अभियान के प्रति जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल हेलमेट वितरण था, बल्कि लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक कर दुर्घटनाओं से बचाव के लिए प्रेरित करना भी था।

इस अवसर पर थाना प्रभारी खरसिया निरीक्षक कुमार गौरव साहू, चौकी प्रभारी उप निरीक्षक संजय नाग और हेल्पिंग हैंड्स क्लब फाउंडेशन के सदस्य बंटी सोनी, मनोज गोयल, अध्यक्ष अंकित अग्रवाल, नमन अग्रवाल, बिन्नी सलूजा, अविचल अग्रवाल, हिमांशु अग्रवाल, निलेश अग्रवाल, विकास शारदा, रजत शर्मा, अंबर अग्रवाल, अनिकेत अग्रवाल, राहुल डनसेना, कैलाश शर्मा और अन्य प्रमुख सदस्य उपस्थित रहे।

दुष्कर्म के आरोपी को पुसौर पुलिस ने गिरफ्तार कर किया कोर्ट में पेश, आरोपी गया जेल

रायगढ़

दिनांक 23.09.2024 को पुसौर पुलिस ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी- गणेश उरांव (उम्र 20 वर्ष) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जेल वारंट जारी करने पर पुलिस ने आरोपी को जेल दाखिल किया गया है। बालिका के पिता द्वारा दिनांक 18.09.2024 को थाना पुसौर में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 14.09.2024, लड़की तालाब नहाने गया था। जहां आरोपी गणेश ने बालिका को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और लड़की के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 218/2024 धारा 64, 65(1) BNS, 4 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना के बाद से आरोपी फरार था। पुलिस की दबिश पर आरोपी के महासमुंद की ओर भाग जाने की जानकारी मिली, थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक रोहित बंजारे द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए मुखबीर लगाकर रखा गया था। आज मुखबीर से सूचना मिली कि आरोपी को ग्राम लिटाईपाली में देखे जाने की सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी अपने स्टाफ के साथ दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लेकर थाना लाया गया जिसे रिमांड पर पेश कर जेल भेजा गया है।

आरोपी की पतासाजी गिरफ्तारी में निरीक्षक रोहित बंजारे, उप निरीक्षक कुंदन लाल गौर, आरक्षक धर्नुजय चंद बेहरा, ओशनिक विश्वाल, महिला आरक्षक देवमती मांझी की अहम भूमिका रही है।

पाझर नाला पुल की रेलिंग की मरम्मत शुरू

- कलेक्टर गोयल ने पुल के शीघ्र मरम्मत के लिए पीडब्ल्यूडी को दिए हैं निर्देश
- बीते दिनों भारी वाहन की टक्कर से हुआ था क्षतिग्रस्त

रायगढ़

पूंजीपथरा तमनार मार्ग में ग्राम आमाघाट के पास क्षतिग्रस्त पाझर नाला सेतु के मरम्मत का कार्य कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसडीओ पीडब्ल्यूडी एम.एस.नायक ने बताया कि पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत की जा रही है। उन्होंने बताया कि यह 50 साल से अधिक पुराना पुल है जो स्टोन मशीनरी से बना है। इसकी रेलिंग और रिटेनिंग वॉल किसी वाहन की टक्कर से टूट गयी थी। जिसका सुधार कार्य शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में रेलिंग के लिए खुदाई शुरू की गई है। जिसके बाद यहां फ्लाईऐश सुपर साइज ब्रिक की वॉल बनाई जाएगी। अगले 15 दिनों में इसे पूरा कर लिया जाएगा। इस बीच पुल से भारी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है।

हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूल प्राचार्यों की हुई बैठक

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. के.वी.राव की उपस्थिति में हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्यो की विभागीय समीक्षा बैठक सृजन सभा कक्ष में आयोजित हुई। सर्वप्रथम वर्ष 2023-24 की परीक्षा में कक्षा 10 वीं एवं कक्षा 12 वीं में शत-प्रतिशत परिणाम वाले स्कूलों के प्राचार्यो को बधाई दी गई। सभी प्राचार्यो को नवीन शिक्षा सत्र 2024-25 में कक्षा 10 वी में न्यूनतम 80 प्रतिशत एवं कक्षा 12 वी में 90 प्रतिशत न्यूनतम परीक्षा परिणाम का लक्ष्य रखने को कहा गया। साथ ही कक्षा 01 से 12 वीं तक अध्ययनरत शत-प्रतिशत पात्र सभी छात्रों का जाति प्रमाण-पत्र दो सप्ताह में पूर्ण करने को कहा गया।

समीक्षा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नियमित रूप से साप्ताहिक, मासिक एवं त्रैमासिक परीक्षा लेने और इनकी परिणामों की समीक्षा करने, प्रत्येक शिक्षक के पाठ्यक्रम एवं डेली डायरी तथा बच्चों को तैयार कराये गये नोटबुक के प्रथम पृष्ठ में ब्लूप्रिंट अनिवार्य रूप से चिपकाने, बच्चों को ब्लूप्रिंट अच्छी तरह समझाने, हर 15 दिन में पाठ्यक्रम पूर्णता की समीक्षा प्राचार्य द्वारा करने, विभिन्न प्रकाशकों के गाइड शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा उपयोग न करने, कमजोर बच्चों को चिन्हांकन कर अतिरिक्त कक्षा संचालन करने, मेरिट में आने वाले बच्चों को चिन्हित कर अतिरिक्त कक्षा में मार्गदर्शन देने, आगमन-निगमन पंजी का संधारण नियमित करने, नियमित प्रायोगिक कार्य कराने, शाला प्रबन्धन समिति की हर माह बैठक आयोजित करने, शाला में अनियमित उपस्थिति या लगातार अनुपस्थित बच्चों के पालक सम्पर्क कर कक्षा में नियमित उपस्थित कराने, कक्षा 05 वी के सभी बच्चों को नवोदय फॉर्म भराने, कक्षा 08 वी में अध्ययन कर रहे छात्रों को राष्ट्रीय साधन सह छात्रवृत्ति फॉर्म भराने एवं हर शनिवार को नियमित कोचिंग कक्षा चलाने के निर्देश दिये। बैठक के दौरान महिला एवं बाल विकास अधिकारी एल.आर. कच्छप के द्वारा वर्तमान में चल रहे पोषण माह की जानकारी देकर स्कूलों में लागू कर ऑनलाइन एंट्री करने का आग्रह किया।

समीक्षा बैठक के दौरान जिला मिशन समन्वयक नरेन्द्र चौधरी, सहायक संचालक तरसिला एक्का, छात्रवृत्ति नोडल शैलेंद्र करन, उत्कर्ष जिला नोडल एवं एपीसी भुवनेश्वर पटेल, एपीसी आलोक स्वर्णकार, भूपेंद्र पटेल, बीईओ रायगढ़ घनाराम जाटवर, घरघोड़ा सुन्दरमनी कोंध, एबीईओ पुसौर मनीष सिन्हा, तमनार उत्तरा सिदार, बीआरसी धरमजयगढ़ मनोज साहू, खरसिया प्रदीप साहू एवं जिले के सभी हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्य उपस्थित रहे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480